कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी,रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट(सोनभद्र)

पत्रांक–3485/रेनुकूट/15–108 दिनांक,रेनुकूट,अप्रैल, 12– 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर क्षेत्र
मीरजापुर ।

विषयः– जनपद–सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अन्तर्गत नार्दन कोल फील्डस लि0 की बीना परियोजना को बीना–ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हे0 वन भूमि 30 वर्षो के लीज पर हस्तान्तरित किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षो के पातन संबंधित प्रस्तुत ऑन लाईन प्रस्ताव संख्या–FP/UP/MIN/24551/2017 के संबंध में ।

संदर्भः– आपका पत्र संख्या– 4198/मी0क्षे0/33 दिनांक– 25.03.2021

महोदय,

विषयगत प्रकरण में संदर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें । प्रकरण में आपके संदर्भित पत्र दिनांक– 25.03.2021 द्वारा इंगित कमियों के संबंध में प्रभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वांछित सूचना/अभिलेख प्राप्त करते हुए आख्या /अभिलेख संस्तुति सहित निम्नानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

क्र0 सं0	मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के पत्र संख्या– 4198/मी0क्षे0/33 दिनांक– 25.03.2021 में अंकित बिन्दु	प्रभाग की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित 14000 हजार वृक्षो का पातन किया जाना प्रस्तावित है । इतने बड़े पातन किया जाना क्या नितान्त आवश्यक है । क्या इसे खण्ड में पातन किया जा सकता है । स्थिति स्पष्ट करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि कोयला खनन परियोजना एक क्षेत्र विशेष परियोजना है । एन0सी0एल0 द्वारा कोयला की उपलब्धता के आधार पर प्रश्नगत परियोजना हेतु 30.50 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु चयनित किया गया है जिसमें प्रस्तावित 14000 हजार वृक्षो का पातन खंड में नही किया जा सकता है । यदि खंड में पातन किया जायेगा तो कोयला का उत्खनन कार्य में बाधा उत्पन्न होगी ।
2	प्रश्नगत परियोजना के संबंध मे क्या नार्दन कोल फील्डस लि0 के अन्य परियोजना से संबंधित बकाया 13,30,96,912.00 जो मा0 उच्चतम न्यायालय , नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है । उक्त परियोजना इससे आच्छादित तो नही है स्पष्ट करें ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि नार्दन कोल फील्डस लि0 के उपर बकाया लीज रेंट की धनराशि रू0 13,30,96,912.00 विषयगत परियोजना से आच्छादित नही है, किन्तु प्रयोक्ता अभिकरण नार्दन कोल फील्डस लि0 ही है ।

3	प्रश्नगत परियोजना में संलग्नक 332 पृष्ठ पर डी0एस0एस0 एनालिसिस से संबंधित प्रमाण–पत्र 61.00 हे0 का वानस्पतिक धनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम है । उल्लेख किया गया है । कि पुष्टि अधोहस्ताक्षरी को कराया जाय ।	इस बिन्दु के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण में क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित 61.00 हे0 अवनत वन भूमि का वानस्पतिक धनत्व 0.4 अथवा 40 प्रतिशत से कम है इसकी पुष्टि प्रस्ताव में संलग्न सी0डी0के माध्यम से महोदय को अवलोकित कराया जा रहा है ।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

(एम0पी0सिंह)
वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

संख्या– अ / सम दिनांकित ।

प्रतिलिपिः महाप्रबन्धक, नार्दन कोल फील्डस लि0 बीना परियोजना, बीना–सोनभद्र को उनके पत्र संख्या–बीना / यू0पी0 फारेस्ट / एफ0सी0 / 2021 / 33 दिनांक– 07.04.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि आप अपने नामित प्रतिनिधि को मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर के यहॉ भेजकर प्रस्ताव के संबंध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

(एम0पी0सिंह)
वन संरक्षक / प्रभागीय वनाधिकारी
रेनुकूट वन प्रभाग,रेनुकूट

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनी रत्न कंपनी)
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगीकंपनी)

एन सी एल
NCL

Northern Coalfields Limited
(A Miniratna Company)
(A subsidiary of Coal India Limited)

महाप्रबंधक कार्यालय / Office of the General Manager

Digital India

CIN- U10102MP1985GOI003160
An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company
पोस्ट- बीना परियोजना, जिला- सोनभद्र (उ.प्र.) पिन- 231220 / Post- Bina Project, Distt- Sonebhadra (U.P.)- 231220
Phone : 05446-276279 (O), 267280 (R) Fax : 05446-276274, 07805-25610 e-mail : cgmbin.ncl@coalindia.in Website : www.nclcil.in

बीना/उ०प्र० वन/एफ०सी० /2021/33

दिनांक: 07.04.2021

सेवा में,
प्रभागीय वनधिकारी
रेनूकूट वन प्रभाग , रेनूकूट

विषय:- जनपद- सोनभद्र में रेनूकूट वन प्रभाग के अनपरा रेंज अंतर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लि० की बीना परियोजना को बीना ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.5 हे० वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रस्तुत ऑनलाइन प्रस्ताव संख्या- FP/UP/MIN/24551/2017 के संबंध में।

संदर्भ:- पत्र संख्या 3272/रेनूकूट /15-108 दिनांक 31 मार्च 2021

महोदय,

प्रश्नगत प्रकरण में मुख्य वन संरक्षक , मिर्ज़ापुर क्षेत्र के स्तर से लगाई गयी आपतियों का बिन्दुवार जानकारी निम्न अनुसार है।

क्र सं	मांगी गयी जानकारी	उपरोक्त जानकारी
1	प्रश्न गत परियोजना में प्रभावित 14000 वृक्षो का पातन किया जाना प्रस्तावित है। इतने बड़े पातन किया जाना क्या नितांत आवश्यक है क्या खंड में पातन किया जा सकता है। स्थिति स्पष्ट करें।	कोयला खनन परियोजना क्योंकि एक क्षेत्र विशेष परियोजना (site specific project) होता है तथा जिस क्षेत्र मे कोयला पाया जाता है उसी क्षेत्र मे खनन करना होता है । उक्त 30.5 ha क्षेत्र मे 14000 वृक्ष है, लेकिन इन वृक्षो की क्षतिपूर्ति के लिए दुगने क्षेत्र (61 Ha) मे क्षतिपूरक वृक्षारोपण किया जाएगा । अतः खंड में पातन नहीं किया जा सकता।
2	प्रश्नगत परियोजना के संबंध में क्या नार्दन कोलफील्ड्स लि० के अन्य परियोजना से सबंधित बकाया 13,30,96,912.00 जो मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है। उक्त परियोजना इससे	बीना विस्तार परियोजना के बाद बीना ककरी एकीकरण परियोजना, नार्दन कोलफील्ड्स लि० कि अलग परियोजना है। परियोजना हेतु 30.5 हे० वन भूमि कि आवश्यकता कोयला खनन हेतु है जो कि इससे पृथक है।

	आच्छादित तो नही है स्पष्ट करें।	
3	प्रश्न गत परियोजना में सलग्नक 332 पृष्ठ पर डी०एस०एस० एनालिसिस से सबन्धित प्रमाण पत्र 61.00 हे० का वानस्पतिक घनत्व 0.4 अथवा 40% प्रतिशत से कम है। उल्लेख किया गया है कि पुष्टि अधोहस्ताक्षरी को कराया जाय।	उक्त बिन्दु (डी०एस०एस० एनालिसिस) वन विभाग से सबन्धित है।

भवदीय

[signature]

महाप्रबंधक

बीना परियोजना